| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/2004/3286/गंगानगर<br>गुलजारसिंह बनाम दसोन्दासिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सतवीरसिंह सिददू, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री मनीष पण्डया, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

आदेश

दिनांकः 10–10–19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर द्वारा प्रकरण सं0 408/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 28–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

आक्षेपित आदेश द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को पक्षकार संयोजित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी सं0 2 द्वारा विवादित भूमि का क्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर किए जाने के परिप्रेक्ष्य में उसे पक्षकार संयोजित किया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि उक्त बेचान वाद के लंबित रहते किया गया है, ऐसी स्थिति में लिसपेंडेंस के सिद्धांत के आधार पर बेचान अप्रार्थी सं0 2 को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देते

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/2004/3286/गंगानगर<br>गुलजारसिंह बनाम दसोन्दासिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | है। अतः उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता। हम अधिवक्ता प्रार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकन किया है कि टी0पी0 एक्ट की धारा 52 का अप्रार्थी सं0 2 के अधिकारों पर क्या प्रभाव रहेगा इसे निर्णय के समय देखा जाएगा। हमारी सुविचारित राय में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं0 2 को पक्षकार संयोजित किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है।<br><br>उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(शिखर अग्रवाल)<br>सदस्य | |